West Bengal Form No. 27

1359

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr. P.C.)

Dist. SPC P.S. Bhakhnagar Year 2021 FIR No. 828/21 Date 09/07/2021

(i) Act ...... Sections — (ii) Act IPC Sections 498A/34 IPC r/w 3/4 D P Act

(iii) Act ...... Sections — (iv) Others Acts & Sections ......

(a) Occurrence of Offence : Day Since after her marriage Date From ...... Date To —

Time Period ...... Time From 16/02/2016 Time To —

(b) Information received at P.S. Date — 09/07/2021 Time — 13.05 hr

(c) General Diary Reference : Entry No.(s) 482 Time 13.05 hr

Type of Information : Written / Oral

Place of Occurrence : (a) Direction and Distance from P.S. 3 km east Beat No. —

(b) Address Bidhya chakra Colony, PS Bhakhnagar, Dist: Jalpaiguri.

(c) In case outside limit of this Police Station, then the

Name of the P.S. — District —

Complainant / Informant :

(a) Name Smt Rakhi Giri

(b) Father's / Husband's Name W/O Sri Rajeswar Giri

(c) Date / Year of Birth : ...... (d) Nationality Indian.

(e) Passport No. — Date of Issue : — Place of Issue —

(f) Occupation —

(g) Address Bidhya chakra Colony, PS Bhakhnagar, Dist: Jalpaiguri.

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars

(Attach separate sheet, if necessary) : (1) Rajeswar Giri (Husband) (2) Tarkeswar Giri (3) Sonita Giri (4) Monika Giri (5) Bimala Giri (6) Ujjal Goswami (Parbat) (7) Ambika Giri and other in laws. All of Bhutia Basty, PS Sadar, Dist. Darjeeling.

Reasons for delay in reporting by the Complainant / Information

—

Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet, if necessary) :

—

Total value of properties stolen / involved —

Inquest Report / U.D. Case No. if any —

FIR Contents (Attach separate sheets, if required) : The original written complaint which is treated as FIR is enclosed herewith / reproduced over leaf.

Action taken : Since the above report reveals commissions of offence(s) as mentained at item No. 2, registered the case and took up to the investigation / directed MD ZIAUL HAQUE to take up investigation / refused investigation / transferred to P.S. ...... on point of jurisdiction. FIR read over to the Complaint / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complaintant / Informant free of cost.

Note in original complaint

Signture / Thumb impression of the Complainant / Informant

09/07/21.

Signture of the Officer-in-Charge, Police Station

Inspector-in-Charge Bhaktinagar Police Station Siliguri Metropolitan Police

Name : DAWA SHERPA

Rank : SI OF POLICE No. : ......

BKN PS / SPC

Date & Time of despatch to the court :

सेवा में,
इन्सपेक्टर इंचार्ज
भक्तिनगर पुलिस स्टेशन
सिलीगुड़ी

दिनांक :- 9/07/2021

विषय :- एफ. आई. आर

महोदय

मैं शर्वी गिरि, पत्नि श्री राजेश्वर गिरि, पुत्री स्व० सुरेश गिरि, निवासी विधायक कॉलोनी सिलीगुड़ी P.O सिलीगुड़ी, P.S. भक्तिनगर, जिला जलपाईगुड़ी आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि मेरी शादी राजेश्वर गिरि पिता स्व० रामजी गिरि, निवासी भूटिया बस्ती (लेबोंग) दार्जिलिंग के साथ दिनांक 16/02/2016 को मारवाड़ी पंचायत भवन, चर्च रोड सिलीगुड़ी में पूर्ण हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सामाजिक तौर पर सम्पन्न हुआ था। मेरे पिताजी के निधन हो जाने के कारण मेरे विवाह का सारा खर्च मेरे चाचाजी एवं अन्य रिश्तेदारों के द्वारा पूरा किया गया। विवाह में हमारी हैसियत के अनुसार हमने सबकुछ अच्छी तरह से किया और Rs.100,000/- नकद रकम फर्नीचर और 5 भरी सोने के जेवरात लड़के वालों को दिये थे।

शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, किन्तु जैसे ही मेरे पति श्री राजेश्वर गिरि अपनी ड्यूटी पर वापिस चले गये उसके बाद मेरी ननद विमला देवी पति उज्जवल गोस्वामी (पवैट) ने मुझपर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने लगी। मुझे मायके से अधिक रकम और सामान लाने के लिए दबाव बनाने लगी। मेरे मायके वाले गरीब होने के कारण उनकी

Cont. Page ---- 2

इच्छाओं को पूर्ति करने में असमर्थ थी। कुछ समय पश्चात मैं गर्भवती हो गई तब मेरे होने वाले बच्चे को गर्भावस्था में मारने की कोशिश में मेरी ननद विमला देवी ने मुझे सीढ़ियों से धकेलने की कोशिश भी की। इस घटना के उपरान्त मैं अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने मायके में आ गई। प्रसव के समय मेरे पति अस्पताल में आये और मुझसे मिले लेकिन लड़की को जन्म देने के कारण वह हताश और क्रोधित हुए। मेरे जेठ तारकेश्वर गिरी, जेठानी सुजाता गिरी, ननद मोनिका गिरी और विमला गिरी ने लड़की होने की खबर सुनकर तंज कसते हुए कहा कि एक तो विवाह में कोई दहेज नहीं लेकर आई और लड़की को जन्म देकर हम पर और भार डाल दिया। कुछ समय पश्चात जब मेरी नवजात बच्ची को टीकाकरण के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया तब डॉक्टर ने कहा कि मेरी बच्ची Abnormal है और वह मानसिक रूप से विकलांग है। उसकी चिकित्सा पर बहुत खर्च होने के कारण मेरे पति राजेश्वर गिरी, जेठ तारकेश्वर गिरी, जेठानी सुजाता गिरी, ननद मोनिका गिरी और विमला गिरी ने कहा कि अगर ससुराल में रहना चाहती है तो मुझे अपनी विकलांग बच्ची को फेंक देना होगा। दार्जिलिंग में मेरी बच्ची व अस्वस्थ बच्ची के लिए उचित उपचार की व्यवस्था न होने के कारण मैं सिलिगुड़ी वापस आ गई। कुछ महीनों तक मेरे पति ने मुझे पैसे भेजे फिर उन्होंने पैसे भेजने बन्द कर दिये ताकि मैं अपनी विकलांग व अस्वस्थ बच्ची की चिकित्सा ना करवा सकूं और उसकी मृत्यु हो जावे। मेरे पति राजेश्वर गिरी झारखण्ड सशस्त्र पुलिस में Constable के पद पर कार्यरत है (Constable No:-815) वह अपनी नौकरी के कारण सरकार से परिवार के लिए चिकित्सा पर होने वाले खर्च मिलते है फिर भी वह अपने बच्ची की चिकित्सा के लिए कोई सहयोग नहीं करते।

Cont Page 3

मैंने 25/11/2020 को पति की शिकायत D.G.P., Jharkhand Police को की जो मेरे पति के पुलिस विभाग के आला अधिकारी है। इस शिकायत की जानकारी मिलने पर मेरे पति अचानक 11 जनवरी, 2021 को रात को मेरे घर आये और मुझे साथ चलने को कहा। जब मैंने कहा कि आप आये हैं तो आराम कीजिए मेरे परिवार कल सब आ जाते हैं तब सभी बात करेंगे कुछ कानूनी प्रक्रिया जो यहाँ चल रही है उसे समझ ले। इसके बाद चलेंगे। लेकिन मेरे पति राजेश्वर गिरि ने मुझे मारा-पीटा और मेरी बच्ची को उठा कर पटक दिया, मुझे घसीट कर बाहर ले जाने लगे। ये सब देखकर आस-पास के कुछ लोग इकट्ठा हो गये। मुझे उन्होंने काफी मारा-पीटा था इसलिए मुझे Siliguri District Hospital ले जाया गया और चिकित्सा करवाई गई (Copy enclosed) घर वालों के दबाव व पति की नौकरी और लोक-लज्जा के कारण मैंने इस घटना की जानकारी पुलिस को अब तक नहीं दी।

गत कुछ दिनों से विभिन्न मोबाइल नम्बरों से मेरे जेठ तारकेश्वर गिरि, जेठानी सुजाता गिरि, ननद मोनिका गिरि, विमला गिरि, पति राजेश्वर गिरि, ननद के पति उज्जवल गोस्वामी (पंडित) बड़ी ननद मोनिका गिरि की बेटी अम्बिका गिरि मुझे धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और मुझ पर Jharkhand Police विभाग में की गई शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाते हैं।

मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि जब मैं इन सब परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुई तो मेरे पति राजेश्वर गिरि ने मेरे खिलाफ दार्जिलिंग जिला अदालत में तलाक का मुकदमा (Devorce case) दायर कर दिया है।

Cont. Page---- 4

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त घटना के सदर्भ मे एफ. आई. आर दर्ज कर दोषियो के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

धन्यवाद।

प्रार्थी
शरती गिरी

शरती गिरी
W/O शनेश्वर गिरी
विधायक कॉलोनी
सिलिगुडी - 734001
जिला - जलपाईगुडी
M/NO - 8391831993

Copy Encl.
1) Xerox copy of Medical Receipt of Siliguri District Hospital.

Received on 09/07/21 at 13.05 hr vide GDE NO 482 dt 09/07/2021 and started Bkn PS case No 828/21 at 09/07/2021 u/s 498A/34 IPC r/w sec 3/4 D.P Act and endorsed the same to SI Zeaul Haque for its investigation.

09/07/21
Inspector-in-Charge
Bhaktinagar Police Station
Siliguri Metropolitan Police

... 7/21 BKN PS/SPC